

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारी:- पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

आशा देवी पत्नि चेताराम मीना निवासी खौहरा तहसील टोडाभीम।

वादीया

बनाम

1. सुमेर पत्नि हेमराज मीना निवासी खौहरा तहसील टोडाभीम।
2. सूका पुत्र रामचन्द्र मीना निवासी टोडी खौहरा तहसील टोडाभीम।
3. तहसीलदार टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा बावत बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:- 39/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट, श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट एवं महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट व हमारे मिनजानिब श्री ..... मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है, व वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम खोहरा मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

क्र0 स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1.	आशादेवी पत्नि चेताराम हिस्सा 1/2 सुमेर पत्नि हेमराज हिस्सा 1/2 जाति मीना सा0 देह (रास्ता हेतु)	480/1	0.0050 है0
2.	सूका पुत्र रामचन्द्र जाति मीना सा0 देह	480/2	0.0188 है0
3.	आशादेवी पत्नि चेताराम मीना सा0 देह	480/3	0.1228 है0
4.	सुमेर पत्नि हेमराज मीना सा0 देह	480/4	0.1134 है0



*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम, जिला-करौली



उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 08.10.2025 को जारी की गई।



*[Handwritten Signature]*

उपखण्ड अधिकारी एवं प्रदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम, जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					